तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1643/2006/भीलवाडा</u>** **श्री नानालाल व अन्य बनाम श्री भेरू लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री अशोक नाथ, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक :</u>**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के आदेश दिनांक 21–2–06 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्देश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है।

2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों का अध्ययन नहीं कर सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे हैं उससे वह अपने हितों की रक्षा करने में सफल हो रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 वादी का वाद संधारण योग्य नहीं रहता है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का आदेश दिनांक 21–2–067 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6नियम 17 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जावे।

4– बहस के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि जो बिन्दु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी में उठाये हैं वह पूर्व में दिनांक 6–12–05 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी के जरिये उठाये गये थे। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। उसी संशोधन को आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के जरिये पेश किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 6–12–05को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1643/2006/भीलवाडा</u>** **श्री नानालाल व अन्य बनाम श्री भेरू लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है जिन तथ्यों का उल्लेख प्रार्थी ने संशोधन बाबत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र में किया गया है उसके बाबत विचारण न्यायालय ने दिनांक 6–12–05को उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 6–12–05 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। जिस बिन्दु पर न्यायालय अपना मत दिनांक 6–12–05 को व्यक्त कर चुका है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर चुका है। उसी बिन्दु को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के माध्यम से उठाया गया है जो चलने येाग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सही रूप से खारिज किया है। क्योंकि एक ही न्यायालय एक ही बिन्दु पर अलग अलग आदेश पारित नहीं कर सकता है और अलग अलग मत व्यक्त नहीं कर सकता है।

आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी में यह प्रावधित किया गया है कि–''न्यायालय दोनें में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधन किये जायेंगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो। <u>परन्तु विचारण प्रारम्भ हो जाने के पश्चात संशोधन के लिये कोई आवेदन पत्र तब तक अनुज्ञात नहीं किया जावेगा जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि सम्यक तत्परता के बाबजूद पक्षकार विचारण के प्रारम्भ होने के पूर्व मामले को नहीं उठा सकता था।</u>

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2002 से वाद लम्बित है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–6–2018 को उपस्थित रहने के लिये जरिये अभिभाषक पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य